



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227342
CG-DL-E-02062021-227342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]
No. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2021/ज्येष्ठ 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2021/JYAISHTHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

सं. 02/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 378(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv) के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में, मद (i), (ik), (ix), (ig) और (iv) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा-

“(iii) भू-स्वामी- प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है।”;

(ख) क्रम संख्या 25 में, -

(i) कॉलम (3) में, मद (िक) के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

(3)	(4)	(5)
“(ix) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएं	5	-”

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, , शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “और (िक)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, “, (िक) और (ix)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/53/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2020- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि. 222(अ), दिनांक 26 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2021

No. 02/2021—Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and subsection (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, subsection (1) of Section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3) , in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely-

“(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.”;

(b) in serial number 25,-

(i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely –

(3)	(4)	(5)
“(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	5	.”

(ii) in item (ii), in column (3), for the word, brackets, figures and letter “ and (ia)”, the brackets, figures, letter and word “,(ia) and (ib)” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

[F. No. 354/53/2021 -TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 02/2020- Integrated Tax (Rate), the 26th March, 2020 vide number G.S.R. 222(E), dated the 26th March, 2020.